संख्या-24/2017/1067/क0नि0प्र0/26-3-17-4(20)/2004

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 04 दिसम्बर,2017
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु ड्राईक्लीनिंग एवं लाण्ड्री योजनान्तर्गत ब्याज रहित ऋण की द्वितीय किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-1958/लेखा अनुभाग/2017-18 दिनांक 14 नवम्बर,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धोबी समाज के लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ड्राइक्लीनिंग एवं लाण्ड्री योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू0 297.87 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपयोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षो में योजना में अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पी0एल0ए0/ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना हेतु निर्गत नियमावली/स्थाई आदेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची एवं अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा शासन को भी उपलब्ध कराये जायेगें। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रबन्धक/ सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6- प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये ब्याज मुक्त ऋण की वसूली दस वर्षो में 120 समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

7- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-6225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण के लिए कर्ज-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/ 2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2017/1067(1)/क.नि.प्र./26-3-2017 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in